तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/6229/2005/बून्दी रामनिवास बनाम रामस्वरुप	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12-02-2019	**एकल पीठ** **श्री महावीर सिंह, सदस्य** **उपस्थिति :-** श्री पवन सिंह, अधिवक्ता प्रार्थी श्री मूलचंद शर्मा, अधिवक्ता अप्रार्थी **निर्णय** हस्तगत निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम,1955) की धारा 230, के अन्तर्गत विद्वान राजस्व अपील अधिकारी, कोटा द्वारा दिनांक 7-10-2005 को प्रकरण संख्या 50/2003 शीर्षक रामस्वरुप बनाम रामनिवास में निर्णय के विरुद्ध मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है। हमने योग्य अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस निगरानी पर सुनी। प्रार्थी के योग्य अधिवक्ता ने बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण/वर्तमान गैर निगराकार संख्या 1 के द्वारा उप खण्ड अधिकारी, नैनवां के समक्ष घोषणा, दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद व उसके साथ में प्रार्थना पत्र धारा 212 के तहत पटवार मण्डल मोडसा तहसील नैनवां की भूमि खसरा नम्बर 1312/4 रकबा 8 बीघा के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया जिसे दिनांक 24-12-2002 को परीक्षण न्यायालय ने खारिज किया। इस निर्णय के विरुद्ध अपील प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अविधिक रुप से प्रार्थी/गैर निगराकार की अपील को स्वीकार किया है। योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में धारा 212 में मुख्य रुप से यही अभिकथन लिया है कि प्रश्नगत भूमि प्रार्थी को दिनांक 25-10-1977 को नियमन की गई थी और वह गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के नियमन शुदा भूमि के बटा नम्बर 1312/4 होना बताया गया है किन्तु नक्शे में तरमीम नहीं होना बताया गया है। किन्तु ये कथन सही नहीं हैं मौके पर प्रश्नगत भूमि अप्रार्थी/निगराकार के कब्जे काश्त में है और उपखण्ड अधिकारी ने उभय पक्ष की बहस सुनने के उपरान्त निगराकार का कब्जा होना माना है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने तथ्यों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/6229/2005/बून्दी रामनिवास बनाम रामस्वरुप	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	व भौतिक स्थिति के विपरीत जाते हुये दावे के निर्णय तक अप्रार्थी के कब्जे में मजाहमत मदाख्लत नहीं करने हेतु अविधिक रुप से पाबन्द किया है। प्रार्थी/गैर निगरारकार खातेदारी नहीहं हो कर राजस्व अभिलेख में गैर खातेदार अंकित है और गैर खातेदार के पक्ष में किसी प्रकार का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण नहीं माना जा सकता है। अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अविधिक निर्णय को निरस्त किया जाये और निगरानी स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को पुष्ट किया जाये। अप्रार्थी पक्ष की ओर से उनके योग्य अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि खसरा नम्बर 1312/4 रकबा 8 बीघा प्रार्थी को दिनांक 25-10-1977 को नियमन की गई थी और वह गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी के नियमन शुदा भूमि के बटा नम्बर 1312/4 है किन्तु नक्शे में तरमीम नहीं की गई है। गैर निगराकार का आराजी से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं है। जो खसरा गिरदावरियों हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई हैं उनमें हमारे पक्ष में कब्जा होना अंकित किया गया है। अतः गैर निगराकार के पक्ष में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन व अपरमित क्षति के बिन्दु साबित होने से ही, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने हमारी अपील को स्वीकार कर परीक्षण न्यायालय के निर्णय को निरस्त किया है। इस निर्णय में किसी प्रकार की तात्विक या क्षेत्राधिकार सम्बन्धी किसी प्रकार की भूल नहीं होने से निगरानी के सीमित दायरे के अन्तर्गत किसी प्रकार का हस्तक्षेन किया जाना उचित नहीं है, निगरानी खारिज की जावे। अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय व परीक्षण न्यायालय के आदेश व अन्य उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र धारा 212 प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत करने पर परीक्षण न्यायालय खण्ड अधिकारी, नैनवां ने निर्णय दिनांक 24-12-2002 से नॉन-रीजण्ड आदेश से इस प्रार्थना पत्र को खारिज किया है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट रुप से मत पारित किया है कि खसरा गिरदावरी सम्वत् 2057 में रामस्वरुप गैर खातेदार दर्ज है और कॉलम संख्या 8 में चरी 3 बीघाएवं कॉलम संख्या 11 में चना 5	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टिए/6229/2005/बून्दी रामनिवास बनाम रामस्वरुप	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बीघा काश्त दर्ज है। नियमन कमैटी ने भी कब्जा अपीलाण्ट प्रार्थी का नामा है। इसके अलावा निर्णय में से भी अंकित किया गया है कि अप्रार्थी–रैस्पो0 की विधिक स्थिति न तो खातेदार की है और ना ही गैर खातेदार की है। इस प्रकार हमारा स्पष्ट रुप से मत है कि प्रश्नगत भूमि पर गैर निगरकार कब्जे में है और निगराकार का किसी प्रकार का से कब्जा होना प्रतीत नहीं होता है और ना ही वह गैर खातेदार है तथा ना ही खातेदार है। धारा 212 के प्रकरण में कब्जे का बिन्दु महत्वपूर्ण होता है और यह बिन्दु गैर निगराकार के पक्ष में रहा है। अतः इस प्रकार की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दु गैर निगराकार के पक्ष में होने से, अधीनस्थ अपीलीय न्यायालाय के निर्णय में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप, निगरानी के सीमित दायरे को देखते हुये, किया जाना उचित नहीं मानते हैं। फलतः निगरानी सारहीन होने से **खारिज** की जाती है। यहॉ ये उल्लेख किया जाना भी आवश्यक समझा जाता है कि हमारे समक्ष किसी प्रकार का तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है कि मूल वाद का निस्तारण हो चुका है या नहीं, यदि मूल वाद का निस्तारण हो चुका है तो यह आदेश स्वतः ही प्रभावहीन माना जाए। पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(महावीर सिंह)** **सदस्य**	